दिवाली से पहले सड़कें दुरुस्त हों, जलापूर्ति व्यवस्था सुधरे व सीवरेज के काम में तेजी लाई जाए : गुप्ता

डूंगरपुर, (निसं)। शहर में सीवरेज के कारण उखड़ी सड़कें, एक दिन छोड़कर हो रही जलापूर्ति, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती और निजी कॉलोनियों में बिना सुविधाओं के बिक रहे भूखंड सहित अन्य। शहरवासियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब प्रशासन ने दिवाली से पहले समाधान की डेडलाइन तय की है। जिला कलेक्टर देशल दान और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर केके गुप्ता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में शहरी सेवाओं से जुड़े विभागों की बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि दिवाली से पहले शहर की सड़कें दुरुस्त हों, जलापूर्ति व्यवस्था सुधरे, बिजली की उपलब्धता पर्याप्त हो और सीवरेज के काम में तेजी लाई जाए।

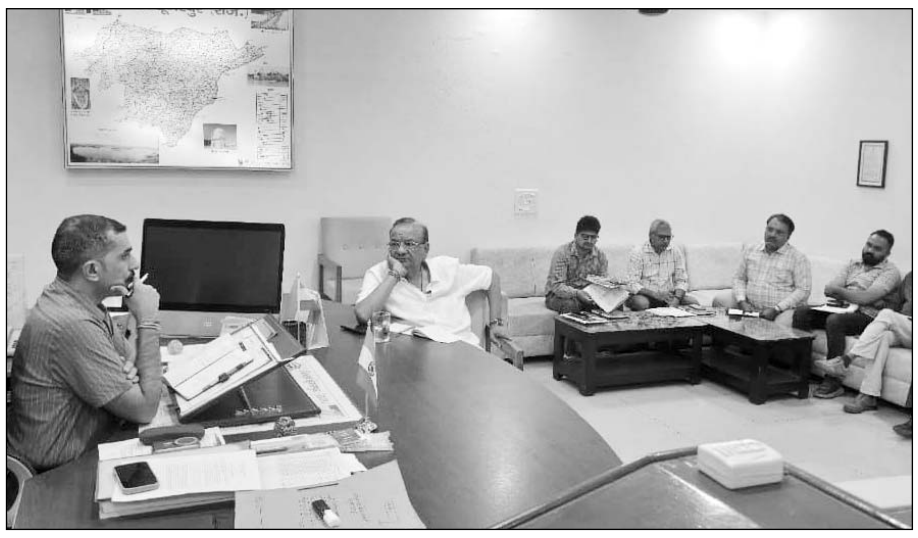

डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशल दान और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर केके गुप्ता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में शहरी सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।

■ 'आरयूआईडीपी से नगर परिषद को सड़क मरम्मत के लिए अलग बजट दिलाया जाए'

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम को गुणवत्ता युक्त किया जाए। बैठक में स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता ने शहर की जमीनी स्थिति अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सीवरेज के काम के बाद शहर की बड़ी संख्या में सड़कें खराब हो गई हैं। कई जगह आरयूआईडीपी ने सड़कें ठीक भी कीं, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल हैं। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि आरयूआईडीपी से नगर परिषद को सड़क मरम्मत के लिए अलग बजट दिलाया जाए, ताकि सीवरेज के बाद खराब हुई सड़कों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से सुधारा जा सके। गुप्ता ने जलापूर्ति को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग के पास पर्याप्त पानी होने के बावजूद शहरवासियों को एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। उन्होंने नियमित जलापूर्ति शुरू करने और सप्लाई का समय बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद लोगों को इंतजार करना पड़े, यह व्यवस्था की समस्या है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। शहर की दीर्घकालीन जल और पर्यावरण व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर गुप्ता ने सोम-कमला आंबा परियोजना का पानी गैप सागर झील तक लाने की बात रखी। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए।

गैप सागर को शहर की पहचान के साथ पर्यटन और पर्यावरण से जोड़ते हुए इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग को शहर की खराब सड़कों पर पेचवर्क कराने तथा जरूरत के अनुसार सड़कों के नवीनीकरण के निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल क्षेत्र की सड़क और वहां उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों से कहा गया कि आमजन की आवाजाही से जुड़े स्थानों पर सड़क और मूलभूत सुविधाओं के काम प्राथमिकता से किए जाएं।

निजी कॉलोनियों का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। गुप्ता ने बिना मूलभूत सुविधाएं विकसित किए भूखंड बेचने वाले कॉलोनाइजरों की शिकायतों और नगर परिषद की कार्रवाई की जानकारी कलेक्टर को दी। इस पर कलेक्टर ने ऐसी कॉलोनियों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुप्ता ने बिजली विभाग से शहर में मेंटेनेंस के नाम पर होने वाली बिजली कटौती को कम करने और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य केवल सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और दूसरी शहरी सुविधाएं भी शहर की पहचान तय करती हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर को देश का नंबर-1 शहर बनाने के लिए नगर परिषद के साथ हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे तो शहर की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में सामने आए मुद्दों पर कार्रवाई को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाए और दिवाली से पहले धरातल पर बदलाव दिखाई देना चाहिए।

जिला रसद अधिकारी पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

उदयपुर,(कासं)। उदयपुर में राशन कार्ड से जुडी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) उदयपुर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

मामला वल्लभनगर तहसील निवासी प्रकाश चन्द्र सालवी से जुडा है। सालवी ने अपने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। लेकिन तय समय में सूचना नहीं मिली। पहली अपील का भी समाधान नहीं हुआ। इस पर उन्होंने आयोग में दूसरी अपील दायर की जिसमें 3 फरवरी 2026 को आयोग ने 30 दिन में सूचना देने के निर्देश दिए थे लेकिन उसकी भी पालना नहीं हुई और करीब सात महीने बाद जाकर जवाब भेजा। जवाब में विभाग ने बताया कि परिवादी के दो राशन कार्ड बने हुए थे जिसमें से एक को डिलीट करना था लेकिन भीण्डर पंचायत समिति के कर्मचारियों की गलती से दोनों ही कार्ड डिलीट कर दिए। उदयपुर के जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने विभाग ने अतिरिक्त खाद्य आयुक्तए जयपुर को एक कार्ड फिर से एक्टिव करने के लिए पत्र लिखा। राज्य सूचना आयोग ने आदेश में कहा कि सात महीने की देरी से जवाब देना, नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होना और बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी अपना पक्ष नहीं रखना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति गंभीर लापरवाही को दिखाता है।

कलश यात्रा व सदभावना यात्रा का आयोजन

देवगढ़, (निसं)। विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति कार्यक्रम के तहत बुधवार को नगर पालिका देवगढ़ की ओर से कलश यात्रा एवं सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में सेवा, सद्भावना, स्वच्छता और सामाजिक एकता की भावना को बढ़ावा देना रहा।कार्यक्रम में महिलाओं सहित आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पी.एल. जाट ने कलश प्रदान कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता, स्वच्छता तथा विकसित भारत के संकल्प का संदेश दिया।अधिशासी अधिकारी जाट ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी सद्भाव और एकता की भावना मजबूत होती है तथा नागरिक स्वच्छ एवं विकसित शहर के निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F-7 ()B.PLAN/MISC/2026-27/950 दिनांकः- यथाहस्ताक्षरित

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता मे समय-समय पर जारी आदेशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन हैः-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्रीमती प्रियंका बकलिया पत्नी श्री संदीप बाकलिया	आयड	208 मौन, 209 मौन, 210,2753/207, 2756/211,2757/212, 2743/186	15	1601.50 वर्गफीट	राजस्व ग्राम आयड में स्थित आम्रपाली नगर में प्रस्तावित 80 फीट सडक पर मौर्यस् मेंशन के सामने स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F-7 ()B.PLAN/MISC/2026-27/951 दिनांकः- यथाहस्ताक्षरित

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता मे समय-समय पर जारी आदेशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन हैः-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्रीमती मीनाक्षी चन्देल पत्नी श्री मुकेश चन्देल	आयड	208 मौन, 209 मौन, 210,2753/207, 2756/211,2757/212, 2743/186	16	1626.50 वर्गफीट	राजस्व ग्राम आयड में स्थित आम्रपाली नगर में प्रस्तावित 80 फीट सडक पर मौर्यस् मेंशन के सामने स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

पैसिफिक में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन

उदयपुर,(कासं)। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं उनके महाविद्यालयीन जीवन की सुखद शुरुआत के उद्देश्य से भव्य फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बी.फार्मेसी प्रथम सेमेस्टर एवं फार्म.डी. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक, मनोरंजक एवं प्रतिभा-आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला एवं आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रैंप वॉक, नृत्य, नाटिका एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। विद्यार्थियों ने प्रतिभा, रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं मंचीय कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों एवं विद्यार्थियों की तैयारी में डॉ. प्राची व्यास, डॉ. प्रीति सोलंकी, डॉ. हेमलता सालवी एवं डॉ. अंकिता जोशी का सहयोग रहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिस्टर फ्रेशर एवं मिस फ्रेशर प्रतियोगिता रही। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, परिचय एवं रैंप वॉक सहित विभिन्न चरणों के आधार पर विजेताओं एवं उपविजेताओं का चयन किया गया।

तीन पंचायत समितियों को जयसमंद झील से जोड़ने की मांग

उदयपुर,(कासं)। सलूंबर जिले के सराडा,सेमारी और मेवल क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई संकट के स्थायी समाधान के लिए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। सांसद ने पत्र के जरिए मांग की है कि जयसमंद झील का पानी इन वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाने की अतिरिक्त योजना को जल्द प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की प्यास बुझाना और स्थानीय जलस्त्रोतों को जयसमंद से जोडकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है।

जयसमंद झील पास में होने के बावजूद इन गांवों को पानी नहीं मिलने से स्थानीय लोगों और मेवल क्षेत्र के ग्रामीणों में लंबे समय से आक्रोश है। ग्रामीणों का तर्क है कि जब उनके क्षेत्र की इतनी बडी झील का पानी दूर.दराज इलाकों में जा सकता है तो अपने गांवों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है?क्षेत्र के लोग लंबे समय से आंदोलन के जरिए जयसमंद का पानी देने की मांग कर रहे हैं। सांसद ने पत्र में लिखा कि सरकार इस अतिरिक्त योजना को मंजूरी देती है तो सराडा, सेमारी और मेवल क्षेत्र की लगभग 4 लाख से अधिक आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। यह पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य है।

■ उदयपुर सांसद ने सीएम को पत्र लिखा

पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से न केवल लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। वहीं कृषि क्षेत्र को भी नया जीवन मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढेंगे और युवाओं का पलायन रुकेगा। इस बडी परियोजना का पूरा लाभ स्थानीय लोगों को मिले। इसके लिए सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि स्थानीय छोटे तालाबों और जलस्त्रोतों को भी जयसमंद झील के इस नए तंत्र से जोडा जाए।

राजपुलमोकॉन 2026 में डॉ. अमन अग्रवाल को ई-पोस्टर प्रस्तुति में मिला द्वितीय स्थान

उदयपुर, (कासं)। चोमू पैलेस, चोमू जयपुर में आयोजित राजपुलमोकॉन 2026 में पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स उमरडा उदयपुर के पल्मोनोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉ. अमन अग्रवाल ने ई-पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया।

डॉ. अमन अग्रवाल ने सम्मेलन में मेलियोइडोसिस- एक दुर्लभ केस प्रस्तुति विषय पर अपना ई-पोस्टर प्रस्तुत किया। मेलियोडोसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक दुर्लभ एवं गंभीर सक्रामक रोग है, जो फेफडों सहित शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण अन्य सक्रामक एवं श्वसन रोगों से मिलते-जुलते होने के कारण इसका निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केस प्रस्तुति में रोग के नैदानिक पहलुओं, जांच, निदान एवं उपचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे सम्मेलन में उपस्थित विशेषज्ञों एवं निर्णायकों द्वारा सराहा गया। डॉ. अमन अग्रवाल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों डॉ. मयूर देवराज, डॉ. राजू कोटा, डॉ. सान्निध्य टाक, डॉ. करण राज एवं डॉ. अनिरुद्ध एरोन के निरंतर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं सहयोग को दिया। इस उपलब्धि पर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिवार, विभागीय सहयोगियों, शुभचिंतकों एवं मित्रों ने डॉ. अमन अग्रवाल को बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



राजपुलमोकॉन 2026 में पिम्स के डॉ. अमन अग्रवाल को ई-पोस्टर प्रस्तुति में द्वितीय स्थान मिला।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

क्रमांक/मोलासुविवि/परीक्षा/2026/10315 दिनांक 07.10.2026

अधिसूचना संख्या -03 (वार्षिक पद्धति परीक्षा आवेदन 2027)

विश्वविद्यालय की B.A., B.COM. तृतीय वर्ष (नियमित/पूर्व/स्वयंपाठी), B.SC., BCA तृतीय वर्ष (नियमित/पूर्व), एम.ए., एम.कॉम. उत्तरार्द्ध (पूर्व/स्वयंपाठी), एम. एससी. गणित, उत्तरार्द्ध (स्वयंपाठी) एवं LL.B. (प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष) तथा स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित समस्त डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से परीक्षा सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 09.10.2026 से अन्तिम तिथि 23.10.2026 तक आमंत्रित किये जाते है।

परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति (LL.B. प्रथम वर्ष व समस्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम) संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 28.10.2026 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

नोट :– 1. पूरक परीक्षा 2026 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित छात्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से सात दिवस के भीतर आवेदन कर सकेंगे। 2. विद्यार्थी का महाविद्यालय में नियमित प्रवेश (तृतीय वर्ष) होने पर ही नियमित केटेगरी से परीक्षा आवेदन कर सकता है।

(डॉ. मुकेश कुमार बारबर)-परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/69ए/2026/8267 दिनांक : 06/10/2026

-:आपत्ती सूचना:-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्ड/ मकान का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए अन्तर्गत (फ्री -होल्ड)/ स्टेट ग्रान्ट एक्ट अन्तर्गत स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 07 दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित सम्पत्ति का विवरण	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री लालुराम खटिक पिता श्री किशनलाल खटिक	भू.क्षे.-520 व.फि, लालबाग के सामने, नाथद्वारा	गली	नेशनल हाईवे-08	गोपीलाल माली का मकान	माधुलाल रेगर का मकान

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

यूडीए में सेवा सेतु अभियान के पहले दिन 110 प्रकरणों का निस्तारण

उदयपुर, (कासं)। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सेवा सेतु अभियान के तहत बुधवार को यूडीए कार्यालय परिसर में शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के माध्यम से नागरिकों को उनकी विभिन्न समस्याओं और आवेदनों के समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।

बुधवार को यूडीए अधिकारियों ने शिविर में लगाए गए विभिन्न काउंटरों का निरीक्षण कर नागरिकों से प्राप्त प्रकरणों की निस्तारण प्रक्रिया की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से राहत दिलाते हुए उनके प्रकरणों का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अभिषेक खन्ना, उपायुक्त सुरेन्द्र बी. पाटीदार, उप शैलेश खेरवा, तहसीलदार रणजीत सिंह बिट्टू एवं रमेश कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। यूडीए सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि अभियान के तहत पहले दिन बुधवार को कुल 110 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें पट्टे के आवेदन के 32, फ्री होल्ड के पट्टे के 10, नाम हस्तांतरण के 6, आवंटन का 1 तथा अन्य श्रेणी के 61 प्रकरण शामिल हैं। 16 अक्टूबर तक कार्यालय परिसर में आयोजित होने वाले शिविर के दौरान भू-रूपान्तरण-90-ए, भू-उपयोग परिवर्तन, लीज-डीड एवं पट्टा जारी करने, फ्री-होल्ड पट्टा, भवन निर्माण अनुज्ञा, उप-विभाजन एवं एकीकरण, नामान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तथा बकाया लीज जमा कराने जैसे कार्य किए जाएंगे।

मेडिकल उपकरणों की दुकानों का निरीक्षण

उदयपुर, (कासं)। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित डिवाइस की बिक्री में विधिक माप विज्ञान के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर 7 अक्टूबर को उदयपुर शहर में आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत एस इण्डिया मेडिकल एंड सर्जीकल और भारत मेडिकल एंड सर्जीकल प्रोडक्ट्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित डिवाइस पर निर्धारित घोषणाओं, विक्रय मूल्य एवं अन्य आवश्यक विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की जांच की गई। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। निरीक्षण किए गए उत्पादों का विक्रय मूल्य निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक नहीं पाया गया तथा मौके पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी राकेश माहेश्वरी ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं बाजार में निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की आकस्मिक जांच लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी मेडिकल उपकरणों एवं अन्य पैकबंद वस्तुओं की जांच की जाएगी।

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड़, जिला-उदयपुर (राज.)

फतहनगर सनवाड़ रोड, उपतहसील कार्यालय के पास, सनवाड़, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.) पिन कोड- 3132206

क्रमांक :- न.पा.फ.स./2025-26/2755 दिनांक :- 6.10.2026

-:: ऊजरदारी सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित प्रार्थियों ने आवेदन प्रस्तुत कर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्वयं के "पुश्तैनी" एवं खरीदशुदा मकान/भूखण्ड का निर्माण स्वीकृति चाहा गया हैं। इस बाबत् इनके मालिकाना हक संबंधी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस ऊजरदारी सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के नगरपालिका कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार नहीं होगी, तथा निर्माण स्वीकृति जारी संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	मूल पट्टाधारी/योजना एवं भूखण्ड संख्या	स्थित मकान/भूखण्ड पड़ौस				क्षेत्रफल
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	वर्गफीट में
1.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (17,36)-ए क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट	आम रास्ता 30 फीट	भूखण्ड संख्या (17,36) -बी	भूखण्ड संख्या 37	आम रास्ता 30 फीट	2100 वर्गफीट
2.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (17,36)-बी क्षेत्रफल 1720 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या (17,36) -ए	भूखण्ड संख्या 18	भूखण्ड संख्या 19	आम रास्ता 30 फीट	1720 वर्गफीट
3.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (21,40)-ए क्षेत्रफल 1828 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या (21,40) -बी	आम रास्ता 30 फीट	आम रास्ता 40 फीट	भूखण्ड संख्या 20	1828 वर्गफीट
4.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (19,37)-ए क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट	आम रास्ता	भूखण्ड संख्या (19,37) -बी	भूखण्ड संख्या 38	भूखण्ड संख्या 36	1500 वर्गफीट
5.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (19,37)-बी क्षेत्रफल 1499.75 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या (19,37) -ए	आम रास्ता 30 फीट	भूखण्ड संख्या 20	भूखण्ड संख्या 17 व 18	1499.75 वर्गफीट
6.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (21,40)-बी क्षेत्रफल 1380 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या 39	भूखण्ड संख्या (21,40) -ए	आम रास्ता 40 फीट	भूखण्ड संख्या 38	1380 वर्गफीट
7.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (15-ए,75)-बी क्षेत्रफल 1703 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या (15-ए, 75)-बी	भूखण्ड संख्या 74	आम रास्ता 40फीट	अन्य भूमि	1703 वर्गफीट
8.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (15-ए,75)-बी क्षेत्रफल 1720 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या (15-ए, 75)-ए	भूखण्ड संख्या (15-ए,75 -सी	आम रास्ता 40फीट	अन्य भूमि	1720 वर्गफीट
9.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भूपेन्द्र अग्रवाल निवासी-फतहनगर तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	श्री भूपेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलालजी अग्रवाल निवासी-फतहनगर योजना न्यू विनायक नगर भूखण्ड संख्या (15-ए,75)-ए क्षेत्रफल 1739 वर्गफीट	भूखण्ड संख्या 15	भूखण्ड संख्या (15-ए, 75)-बी	आम रास्ता 40 फीट	भूखण्ड संख्या 01	1739 वर्गफीट

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, फतहनगर, सनवाड़

नाम परिवर्तन

मैनें अपना नाम आरिफ अली कांकरोली से बदलकर आरिफ अली कांकरोलीवाला पुत्र असगर अली कांकरोलीवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता: 39 लुकमान मार्ग, बोहरावाड़ी, उदयपुर (राज.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भगवती लाल गमेती पुत्र श्री नारू जी गमेती द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज फैल्सपार एण्ड मैसेनरी स्टोन खनन परियोजना पट्टा संख्या 19/2022 (रेफरेन्स संख्या 20221000061574, स्थित खसरा संख्या 2 व 3, निकट ग्रामभानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 1.9469 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,53,202 टीपीए (आर.ओ.एम) के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA राजस्थान द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान की गई है। उक्त परियोजना को EC identification No. EC24B0108RJ5573073N, File No. RJ/25/SEAC - 4(06)/MIN/EC/ 0106 के अन्तर्गत दिनांक 03/10/2026 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति PARIVESH पोर्टल www.parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।

आम सूचना

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरे कार्यार्थी श्री प्रभुलाल पिता श्रीनाथुलाल तेली, निवासी खातेला किशनपुरा, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द की राजस्व ग्राम किशनपुरा में स्थित आराजी संख्या 1169/1158 रकबा 0.0413 हैक्टर व आराजी संख्या 1005/782 रकबा 0.1150 हैक्टर भुमि, को पूर्व स्वामी श्रीमती काजल कुमारी पुत्री श्री नरेश कुमार खटीक निवासी साकरोदा से जरियें विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2023 को क्रय किया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यलय राजसमन्द में दिनांक 09.11.2023 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 227, पेज संख्या 141, संख्या 202303128104325 पर पंजीबद्ध किया गया। जो असल विक्रय कहीं गुम हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 07.09.2026 को पुलिस थ